राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.
"कर–भवन" अजमेर

क्रमांक : एफ–7(42)जन/2015/पार्ट–I/ 4354-4897 दिनांक : 24/5/17

1. समस्त उप महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक,
राजस्थान

2. समस्त उप पंजीयक,
(पूर्णकालीन एवं पदेन),
राजस्थान

विषय : पंचायत समिति वार पट्टा आवंटन अभियान, 2017 के दौरान कैम्प स्थल पर ही पट्टों का पंजीयन करने के संबंध में।

प्रसंग : संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.2(30) वित्त/कर/15–19 दिनांक 24.05.17

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक अधिसूचना के क्रम में **पंचायत समिति वार पट्टा आवंटन अभियान, 2017** के दौरान कैम्प स्थल पर पट्टों के दस्तावेजों का पंजीयन करने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है :–

1. पंचायत समिति वार पट्टा आवंटन अभियान, 2017 के दौरान शिविर में प्रस्तुत होने वाले पट्टों का शिविर में मैन्युअल तरीके से पंजीयन किया जायें।
2. शिविर में पंजीबद्ध किये जाने वाले पट्टों के पंजीयन के लिये पुस्तक संख्या–1, अतिरिक्त पुस्तक संख्या–1, अंगुष्ठ रजिस्टर, सूची संख्या–2 एवं अन्य आवश्यक रिकॉर्ड अलग से संधारित किया जायें। इनमें पंजीबद्ध किये जाने वाले पट्टो का नम्बर क्रम संख्या 001 से प्रारम्भ करते हुए अलग से दिया जावें।
3. शिविर में मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क तथा विविध शुल्क की राशि आवश्यकतानुसार नगद भी स्वीकार की जायें।
4. पूर्णकालीन उप पंजीयक कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में कैम्प आयोजित होने पर शिविर की दिनांक को इन कार्यालयों से एक लिपिक को उपरोक्त कार्य संपादन के लिये शिविर स्थल पर नियुक्त किया जायें।
5. पदेन उप पंजीयक कार्यालयों के कार्मिक शिविर के दौरान वहॉं उपस्थित रहेंगे। अतः उनके क्षेत्राधिकार में कैम्प आयोजित होने पर उपरोक्त कार्य पदेन उप पंजीयक कार्यालयों के कार्मिक द्वारा संपादित किया जायेगा।
6. समस्त पदेन उप पंजीयक प्रतिदिन शिविर के पश्चात् अपने कार्यालय में पहुंचकर, कार्यालय में प्रस्तुत होने वाले अन्य दस्तावेजों के पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण करेंगे।
7. शिविर स्थल पर स्टाम्प वेण्डर/डीडराईटर की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये संबंधित सभी उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह शिविर स्थल पर एक स्टाम्प वेण्डर एवं डीडराईटर को उपस्थित रहने हेतु अपने स्तर से तत्काल पाबन्द करें।

F7-42-G
'पंजीयन भवन', लोहागल–जनाना अस्पताल रोड, अजमेर 305001 (राज.),
फो. : 0145–2971201, 2971203, 2971206 फैक्स 2971202 ई–मेल igrs@rajasthan.gov.in वेबसाईट : http://igrs.rajasthan.gov.in

8. शिविर स्थल पर पंजीबद्ध किये जाने वाले पट्टों पर विशेष मोहर बनवाकर पंजीबद्ध पट्टों पर उसे आवश्यक रूप से लगाया जायें। मोहर का प्रारूप निम्नानुसार है :–

पंचायत समिति वार पट्टा आवंटन अभियान, 2017 के तहत आयोजित शिविर में पंजीकृत।

9. राज्य अधिसूचना क्रमांक प.2(30) वित्त/कर/15–19 दिनांक 24.05.17 के द्वारा जिन पंजीयन उप–जिलों में पूर्णकालीन उप–रजिस्ट्रार नियुक्त हैं, उन उप–जिलों में पदस्थापित तहसीलदार व नायब तहसीलदार को ऐसे उप–जिलों के लिये ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के पट्टा आवंटन अभियान की अवधि के दौरान 12.07.2017 तक शिविर स्थल पर ग्राम पंचायतों द्वारा जारी पट्टों का पंजीयन कार्य सम्पादित करने के लिये उप–रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। संदर्भ हेतु अधिसूचना की प्रति संलग्न है। इस अधिसूचना के अंतर्गत पूर्णकालीन उप पंजीयकों के क्षेत्राधिकार में आयोजित होने वाले शिविरों में प्रस्तुत होने वाले पट्टों के दस्तावेजों का शिविर में उपस्थित तहसीलदार व नायब तहसीलदार द्वारा पंजीयन कार्य सम्पादित किया जायेगा।

यद्यपि उपरोक्त निर्देश विभाग के स्तर से समस्त पूर्णकालीन एवं पदेन उप पंजीयकों को भी जारी किये गये है, किन्तु सभी उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि उनके वृत्त में स्थित जिलों में आयोजित किये जाने वाले शिविरों का कार्यक्रम संबंधित जिला परिषद कार्यालयों से प्राप्त कर, अपने–अपने वृत्त के समस्त पदेन एवं पूर्णकालीन उप पंजीयकों को उपलब्ध करवाते हुए अपने स्तर से भी उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु तत्काल पाबन्द करें।

भवदीय

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(रेणू जयपाल)
अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन)
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान अजमेर

क्रमांक : एफ–7(42)जन/2015/पार्ट–I/4898-4966 दिनांक 24/5/17

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
3. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर।
4. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।

अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन),
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान अजमेर

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

जयपुर, दिनांक: 24.05.2017

अधिसूचना

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, जिन पंजीयन उप–जिलों में पूर्णकालीन उप–रजिस्ट्रार नियुक्त हैं, उन उप–जिलों में पदस्थापित तहसीलदार व नायब तहसीलदार को ऐसे उप–जिलों के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पट्टा आवंटन अभियान की अवधि के दौरान 12 जुलाई 2017 तक शिविर स्थल पर ग्राम पंचायतों द्वारा जारी पट्टों का पंजीयन कार्य सम्पादित करने के लिए उप–रजिस्ट्रार नियुक्त करती है।

(सं. प.2(30)वित्त/कर/2015–19)
राज्यपाल के आदेश से,

(शंकर लाल कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,राज.,
"पंजीयन–भवन", अजमेर

क्रमांक : एफ.7(42)जन/2017/ 4967 – 5567 दिनांक : 24/5/17

राज्य अधिसूचना क्रमांक एफ.2(30)वित्त/कर/2015–19 दिनांक 24.05.17 की प्रति सूचनार्थ, पालनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित प्रेषित है :–

1 शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्थान, भूतल 'डी' ब्लॉक वित्त भवन, जनपथ, जयपुर।
3 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
4 समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
5 पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6 वित्तीय सलाहकार, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग मुख्यालय अजमेर।
7 आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान।
8 आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
9 समस्त आयुक्त, नगर निगम, राजस्थान।
10 समस्त सचिव, नगर विकास न्यास, राजस्थान।
11 निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
12 अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, चतुर्थ तल, वित्त भवन, जयपुर।
13 समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक), राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना के संबंध में आपके वृत्त के उप पंजीयक कार्यालयों को अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही हेतु तत्काल सूचित करें।
14 संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त अधिसूचना को विभाग की वेबसाईट igrs.rajasthan.gov.in पर तत्काल अपलोड करावें।
15 समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
16 निजी–सचिव, महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।

(रेणू जयपाल)
अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन),
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर